

पर्चा डिक्री

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं० : 108/2017

अनवान :

पृथ्वीराज पुत्र गोरीदत्त जाति यादव निवासी वार्ड नं० 12 कस्बा भादरा जिला हनुमानगढ़ राज०

- वादी

बनाम

1. बिमला पत्नी स्व. कल्याणसिंह पुत्र गोरीदत्त जाति यादव निवासी गांव सिकन्दरपुर नजदीक पेटोल पम्प, तहसील हांसी जिला भिवानी हरियाणा।
2. विजयसिंह यादव पुत्र गोरीदत्त जाति यादव निवासी गांव बाय यादवों का मोहल्ला, तहसील तारानगर जिला चूरु राज०
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा जिला हनुमानगढ़ राज०
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व तारानगर जिला चूरु राज०
5. पंजाब नेशनल बैंक, जरिये शाखा प्रबन्धक शाखा तारानगर जिला चूरु।
6. आईसीआईसीआई बैंक जरिये शाखा प्रबन्धक शाखा भादरा।

- प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ राजकुमार कस्वा उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री योगेश शर्मा एवं प्रतिवादी सं० 2 विक्रम यादव की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादी अंतिम डिक्री किया जाता है। मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद भूमि पक्षकारान के हिस्सा में निम्नानुसार रहेगी।

1. पृथ्वीराज वल्द गोरीदत्त कौम अहीर सा० भादरा खातेदार के पास :- चक 5 बीएचडी के मु०नं० 53 के किला नं० 4/1 की 0.169 है० नहरी 0.152 है०, खाला 0.017 है० किला नं० 5 की 0.253 है० नहरी 0.228 है०, खाला 0.025 है० किला नं० 6 की 0.253 है० नहरी, किला नं० 7/1 की 0.169 है० नहरी, किला नं० 14/1 की 0.161 है० नहरी, किला नं० 15 की 0.253 है० नहरी कित्ता 6 की 1.258 है० नहरी 1.216 है० खाला 0.042 है० लगान 9.61

मोजा बांय :- खसरा सं० 329 की 4-19 बा.अ., खसरा सं० 334 मी. की 8-19 बा.अ., खसरा सं० 1613/787 की 1-15 बा.सो. किला नं० 1611/786 की 9-07 है० कित्ता 4 रकबा 25 बारानी लगान 8.90

2. विजय कुमार वल्द गोरीदत्त कौम अहीर सा० भादरा खातेदार राहिन आईसीआईसीआई के पास :- चक 5 बीएचडी मु०नं० 53 किला नं० 2/2 की 0.084 है० नहरी 0.076 है० नहरी, खाला 0.008 है० किला नं० 3 की 0.253 है० नहरी 0.228 है० खाला 0.025 है० किला नं० 4/2 की 0.084 है० नहरी 0.076

है0 खाला 0.008 है0 किला नं0 7/2 की 0.084 नहरी, किला नं0 8 की 0.253 है0 नहरी किला नं0 9/2 की 0.084 है0 नहरी किला नं0 12/2 की 0.072 है0 नहरी किला नं0 13 की 0.253 है0 नहरी, किला नं0 14/2 की 0.092 नहरी किता 9 की 1.259 है0 नहरी 1.218 है0 खाला 0.041 है0 लगान 9.63

मोजा बांय :- खसरा सं0 334 मी. की 8-0 बा.अ., खसरा सं0 535 की 16-03 बा.सो., किता 2 रकबा 24-03 बारानी लगान 8.05

3. विमलादेवी पत्नि स्व0 कल्याणसिंह कौम अहीर सा0 भादरा हाल बांय तहसील तारानगर जिला चुरु खातेदार राहिन पीएनबी शाखा तारानगर के पास :- चक 5 बीएचडी मु0नं0 53 के किला नं0 1 की 0.253 है0 नहरी 0.228 है0 खाला 0.025 है0, किला नं0 2/1 की 0.169 है0 नहरी 0.152 है0, खाला 0.017 है0, किला नं0 9/1 की 0.169 है0 नहरी किला नं0 10 की 0.253 है0 नहरी, किला नं0 11 की 0.240 है0 नहरी किला नं0 12/1 की 0.181 है0 नहरी किता 6 की 1.265 है0 नहरी 1.223 है0 खाला 0.042 है0 लगान 9.67

मोजा बांय :- खसरा सं0 1611/786 की 26-02 बा.सो. लगान 7.83

तहसीलदार भादरा के विभाजन प्रस्ताव के अनुसार चक 5 बीएचडी के मु0नं0 53 के किला नं0 11 में 1 बिस्वा यानि 0.013 है0 भूमि रेलवे सीमा में स्थित है। उक्त भूमि को रेलवे विभाग के नाम दर्ज की जावे। चूंकि कृषि भूमि बैंक के रहन है इसलिए रहन बैंक यथावत् रखा जाकर उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग कायम किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 26.5.18..... को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



(राजकुमार कस्वा)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
उपखण्डाधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ़

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्बा आरएएस

प्रकरण सं० : 108/2017

अनवान :

पृथ्वीराज पुत्र गोरीदत जाति यादव निवासी वार्ड नं० 12 कस्बा भादरा जिला हनुमानगढ़ राज०

- वादी

बनाम

1. बिमला पत्नी स्व. कल्याणसिंह पुत्र गोरीदत जाति यादव निवासी गांव सिकन्दरपुर नजदीक पेटोल पम्प, तहसील हांसी जिला भिवानी हरियाणा।
2. विजयसिंह यादव पुत्र गोरीदत जाति यादव निवासी गांव बाय यादवों का मोहल्ला, तहसील तारानगर जिला चूरु राज०
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा जिला हनुमानगढ़ राज०
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व तारानगर जिला चूरु राज०
5. पंजाब नेशनल बैंक, जरिये शाखा प्रबन्धक शाखा तारानगर जिला चूरु।
6. आईसीआईसीआई बैंक जरिये शाखा प्रबन्धक शाखा भादरा।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत : खाता तकसीम

अन्तर्गत धारा 53, 188 राज०काश्त०अधि० 1955

उपस्थिति : वकील श्री योगेश शर्मा : वादी

वकील श्री विक्रम यादव : प्रतिवादी सं० 2


निर्णय

दिनांक : 26.5.18

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार हैं कि चक 5 बीएचडी के खाता सं० 43/36 मु०नं० 53 के किला नं० 1 ता 15 प्रत्येक कि 0.253 है० यानि कुल किता 15 यानि 3.7950 है० खातेदारी जिसमें 0.1250 है० गै०मु० खाला इसी प्रकार ग्राम बायं के खसरा नं० 329 की 4 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नं० 334 की 16 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नं० 1611/786 की 35 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नं० 1613/787 की 1 बीघा 15 बिस्वा, खसरा सं० 535 की 16.03 है० कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त वर्णित खातेदारी कृषि भूमि में वादी पृथ्वीराज व स्व. कल्याणसिंह, विजयकुमार बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार हैं चूंकि कल्याणसिंह का देहान्त हो चुका है इसलिए उसके हिस्सा 1/3 हिस्सा की उसकी पत्नी प्रतिवादीया सं० 1 खातेदार काश्तकार है।

उपरोक्त वर्णित खातेदारी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में पक्षकारान के संयुक्त रूप से दर्ज है, लेकिन दिनांक 24.06.2013 को वादी पृथ्वीराज व कल्याणसिंह विजय कुमार ने आपसी सहमति व रजामंदी से एक पारिवारिक बंटवारानामा कृषि भूमि


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
जिला-हनुमानगढ़

E:\Ganesh upadhyay\MIX

लिखते हुए तहरीर किया जिसके अन्तर्गत वादी को 5 बीएचडी में स्थित वाद भूमि का पूर्व का हिस्सा बंटवारे में दे दिया इसी प्रकार रोही बांय के खसरा नं० 329 में 4 बिघा 19 बिस्वा, खसरा नं० 334 में 8 बिघा 19 बिस्वा उत्तर दिशा में एव खसरा 1613/787 में 1 बिघा 15 बिस्वा सम्पूर्ण एवं खसरा नं० 1611/786 की 9 बिघा 7 बिस्वा दक्षिण दिशा कि कृषि भूमि वादी को बंटवारा में दी, असल बंटवारा संलग्न दावा है।

दिनांक 24.06.2013 को किये गये पारिवारिक बंटवारानुसार वादी पृथ्वीसिंह व कल्याणसिंह, विजय सिंह काबिज हो कर काश्त करने लगे तथा आज तक उसी अनुसार काश्त करते आ रहे है और वादी पृथ्वीसिंह, कल्याणसिंह, विजयसिंह ने इस बंटवारानामा में तय किया कि पारिवारिक बंटवारानामा के मुताबिक भविष्य में खाता विभाजन किया जाता है तो कोई काश्तकार उज्र व एतराज पैदा नहीं कर सकेगा।

वादी ने अन्य सहखातेदारान से अपना खाता व लगान अलग कायम करवाने हेतु हस्तगत वाद दायर किया है जिसमें तहसीलदार भादरा व तारानगर को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर विभाजन प्रस्ताव मंगवाया गया। न्यायालय के समक्ष विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया गया जिस पर पक्षकारान को सुना गया, कोई एतराज/आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादी अंतिम डिक्री किया जाता है। मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद भूमि पक्षकारान के हिस्सा में निम्नानुसार रहेगी।

1. पृथ्वीराज वल्द गोरीदत्त कौम अहीर सा० भादरा खातेदार के पास :- चक 5 बीएचडी के मु०नं० 53 के किला नं० 4/1 की 0.169 है० नहरी 0.152 है०, खाला 0.017 है० किला नं० 5 की 0.253 है० नहरी 0.228 है०, खाला 0.025 है० किला नं० 6 की 0.253 है० नहरी, किला नं० 7/1 की 0.169 है० नहरी, किला नं० 14/1 की 0.161 है० नहरी, किला नं० 15 की 0.253 है० नहरी किता 6 की 1.258 है० नहरी 1.216 है० खाला 0.042 है० लगान 9.61

मोजा बांय :- खसरा सं० 329 की 4-19 बा.अ., खसरा सं० 334 मी. की 8-19 बा.अ., खसरा सं० 1613/787 की 1-15 बा.सो. किला नं० 1611/786 की 9-07 है० किता 4 रकबा 25 बारानी लगान 8.90

2. विजय कुमार वल्द गोरीदत्त कौम अहीर सा० भादरा खातेदार राहिन आईसीआईसीआई के पास :- चक 5 बीएचडी मु०नं० 53 किला नं० 2/2 की 0.084 है० नहरी 0.076 है० नहरी, खाला 0.008 है० किला नं० 3 की 0.253 है० नहरी 0.228 है० खाला 0.025 है० किला नं० 4/2 की 0.084 है० नहरी 0.076 है० खाला 0.008 है० किला नं० 7/2 की 0.084 नहरी, किला नं० 8 की 0.253 है० नहरी किला नं० 9/2 की 0.084 है० नहरी किला नं० 12/2 की 0.072 है० नहरी किला नं० 13 की 0.253 है० नहरी, किला नं० 14/2 की 0.092 नहरी किता 9 की 1.259 है० नहरी 1.218 है० खाला 0.041 है० लगान 9.63

मोजा बांय :- खसरा सं० 334 मी. की 8-0 बा.अ., खसरा सं० 535 की 16-03 बा.सो., किता 2 रकबा 24-03 बारानी लगान 8.05


3. विमलादेवी पत्नि स्व० कल्याणसिंह कौम अहीर सा० भादरा हाल बांय तहसील तारानगर जिला चुरु खातेदार राहिन पीएनबी शाखा तारानगर के पास :- चक 5 बीएचडी मु०नं० 53 के किला नं० 1 की 0.253 है० नहरी 0.228 है० खाला 0.025 है०, किला नं० 2/1 की 0.169 है० नहरी 0.152 है०, खाला 0.017 है०, किला नं० 9/1 की 0.169 है० नहरी किला नं० 10 की 0.253 है० नहरी, किला नं० 11 की 0.240 है० नहरी किला नं० 12/1 की 0.181 है० नहरी किता 6 की 1.265 है० नहरी 1.223 है० खाला 0.042 है० लगान 9.67

मोजा बांय :- खसरा सं० 1611/786 की 26-02 बा.सो. लगान 7.83

तहसीलदार भादरा के विभाजन प्रस्ताव के अनुसार चक 5 बीएचडी के मु०नं० 53 के किला नं० 11 में 1 बिस्वा यानि 0.013 है० भूमि रेलवे सीमा में स्थित है। उक्त भूमि को रेलवे विभाग के नाम दर्ज की जावे। चूंकि कृषि भूमि बैंक के रहन है इसलिए रहन बैंक यथावत् रखा जाकर उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग कायम किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 26.5.18..... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(राजकुमार कश्वा)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला हनुमानगढ़)
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ़